फोरेक इंडिया लिमिटेड

बनाम्

एडलवाईस एसेटस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(दिवानी अपील संख्या 818/2018)

22 जनवरी 2019

{आर एफ नरीमन और नवीन सिन्हा, न्यायाधीशगण}

प्रतिवादी न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

रोहिंटन एफ नरीमन न्यायाधीश 1. वर्तमान मामला एक परिसामपन याचिका को जारी रखने के लिए एक आॅपरेशनल क्रेडिटर की अपील से उत्पन हुआ है, जिसे 2014 में उक्त लेनदार द्वारा दायर किया गया था। इस अपील के निपटाने के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैः

2. 2014 की संख्या 42 होने के कारण समापन याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी नं02 कंपनी के खिलाफ 10.01.2014 को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित अपीलकर्ता ने कंपनी अधिनियम की धारा 433 के तहत बकाया भुगतान करने में असमर्थता का आरोप लगाया। इस याचिका में नोटिस दिया गया था, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 20.01.2014 के आदेश में दर्ज किया गया है। आगे के आदेशों के बारे में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमें बताया है, जिसमें कहा गया है कि कोई ऋण या देनदारी है, जिसे वास्तव में स्वीकार किया गया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कंपनी द्वारा 14.07.2015 को बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम,1985 के तहत औद्योगिक और आर्थिक पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईआर) को एक संदर्भ दिया गया था, जिसके अनुसार, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता 11.12.2016 को समाप्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अन्य परिचालन ऋणदाता, अर्थात एसकेएफ इंडिया लिमिटेड ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर कियाथा। 2016 (संक्षेप में संहिता), प्रतिवादी सं0 2 के खिलाफ जिसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी ताकि उपरोक्त परिचालन ऋणदाता एक समापन याचिका में उच्च न्यायालय में जा सके, जिसे बाद में कंपनी याचिका संख्या 42/2014 के साथ सुना जाएगा।

4. इस बीच, उतरवादी संख्या 1, जो कि स्वयं उसी कॉर्पोरेट देनदार का वितीय ऋणदाता होने के नाते मई, जून 2017 में संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक दिवाला याचिका में राश्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दावा पेश कर दिया। इस याचिका को दिनांक 07.08.2017 को

स्वीकार कर लिया गया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता द्वारा एक अपील दायर की गयी थी जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें संहिता की धारा 11 का उल्लेख किया गया था, और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह पाया गया था कि चूँकि समापन की कारवाई उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं गई है, वितीय ऋणदाता का याचिका पोशणीय नहीं है परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के उक्त अपील को खारिज कर दिया गया है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बड़ी मेहनत से हमें अभिलेख के बारे में बताया और संहिता का हवाला दिया। कॉर्पोरेट मामलो के मंत्रालय की अधिसूचनाओं के साथ जिसमें संहिता की धारा 239 के तहत शक्तियों कां प्रयोग करते हुए , कंपनी (लंबित कार्यवाही का हस्तान्तरण)2015 नामक नियम बनाये हैं। उन्होनें आज तक किए गये संशोधनों का भी उल्लेख किया है, संहिता के 11 वीं अनुसुची और हमारे सामने तर्क दिया है कि उनके द्वारा दायर समापन याचिका स्पश्ट रूप से नियमों के नियम 5 के दायरे में आयेगी, क्योंकि कंपनी (न्यायालय) नियमों की नियम 26 के तहत सूचना दी गयी थी। संहिता के प्रारंभ होने से बहुत पहले सेवा प्रदान की गयी थी। यह मामला होने के नाते, इस समापन याचिका को आगे बढ़ाना चाहिए और इसे उच्च न्यायालय के समक्ष जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तर्क का आवश्यक सहवर्ती यह था कि उच्च न्यायालय के समक्ष समापन की कार्यवाही जारी रखी जानी चाहिए न कि संहिता के तहत अन्य लेनदारों द्वारा दायर की गयी कारवाई।

6. प्रतिवादी सं01 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिश्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन ने इन दलीलों का प्रतिवाद किया और हमारे सामने सभी प्रासंगिक सामग्री, वैद्यानिक और अन्यथा यह बताने के लिए रखी कि संहिता का पुरा उदेश्य विफल हो जायेगा यदि आवेदकों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता के तहत दिवालिया आवेदनों को जो कि दायर की गयी उसे आगे भी जारी रखा जाय। उन्होनें इस दलील को पुश्ट करने के लिए हमारे कुछ निर्णयों का हवाला दिया, विशेश रूप से संहिता की धारा 238 का। उनके मुताविक, जेसा कि हमारे कुछ फैसलों में माना गया है कि संहिता की धारा 7 या धारा 9 के तहत शुरू की गई कार्यवाही स्वतंत्र कार्यवाही है। जिसे उच्च न्यायालय में लंबित किसी भी समापन याचिका से बिना किसी बाधा के अपने तार्किक निश्कर्श तक पहुंचना चाहिए। उनके अनुसार, यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि संहिता का मुल उदेश्य एक कॉर्पोरेट देनदार ने जीवन का संचार करना है जो कि खतरे में हैं, और यह केवल तभी है जब पुनर्जीवन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार इन्हें मनन रखते हुए यह अपेक्षित है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय तभी संभव है जबकि इन्हें निरंतर जारी रखा जाये जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर आधारित है एवं इस तरह अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

7. वर्तमान परिस्थिति में, यह महत्वपुर्ण है कि संहिता की कुछ धारों पर ध्यान दी जाय। संहिता की धारा **255. " 2013 के अधिनियम 18 के संशोधनों– कंपनी अधिनियम 2013** को ग्यारहवीं सूची में निर्दिश्ट तरीके से संशोधित किया जायेगा। "

8. इस धारा के अनुसरण में, संहिता की ग्यारहवी सूची में 15.11.2016 को कंपनी अधिनियम 2013 में 01.12.2016 से विभिन्न संशोधन किये गये। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 434 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया थाः

"**434. कुछ लंबित कार्यवाहीयों का स्थानांतरणः–** (1) ऐसी तारीख पर जो केन्द्र सरकार द्वारा इसं संबंध में अधिसूचित की जाय,

ए0 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10–ई की उप धारा (1) के तहत गठित कंपनी कानुन प्रशासन बोर्ड (यहां इस अनुभाग में कंपनही कानुन बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित सभी मामले कार्यवाही या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पहले न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जायेगा और न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों, कार्यवाही या मामलो का निपटारा करेगाः

बी0 ऐसी तारीख से पहले किये गये कंपनी लॉ बोर्ड के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

बशर्ते की उच्च न्यायालय यदि संतुश्ट हो कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के अंदर अपील दायर करने में यथोचित कारणों से देरी हुई है तो अपीलकर्ता को पुर्व से निर्धारित अपील दायर करने की समयावधि में 60 दिनों को पुनः अगले 60 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता हैः और

सी0 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सभी कार्यवाही, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाही शामिल है, जो किसी भी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख के तुरत पहले लंबित है, न्यायाधिकरण को आवश्यक रूप से स्थानांतरित कर दी जायेगी और न्यायाधिकरण ऐसी कार्यवाहीयों को उनके स्थानांतरण से पहले चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

वशर्ते की कंपनीयों के समापन से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाही ही न्यायाधिकरण को हस्तांतरित की जायेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित चरण में हो।

(2) केन्द्र सरकार इस धारा के तहत कंपनी लॉ बोर्ड या अदालतों के समक्ष लंबित सभी मामलों, कार्यवाही या मामले को न्यायाधिकरण के समक्ष हस्तांतरित करने को सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है।

9. दिनांक 17.08.2018 को पुनः धारा 434 प्रतिस्थापित की गयी। इस बार, जो प्रावधान किये गये हैं उन्हें निम्न रूप में पढ़ा जा सकता है।

"434. कुछ लंबित कार्यवाहीयों का स्थानांतरण– 1. ऐसी तारीख पर जो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाय।

ए0 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 10– ई की उप धारा (1) तहत गठित कंपनी कानुन प्रशासन बोर्ड (यहां इस अनुभाग में कंपनी कानुन बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष लंबित सभी मामलें कार्यवाही या मामले, ऐसी तारीख से ठीक पहले न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जायेगा और न्यायाधिकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलो या कार्यवाही या मामला का निपटारा करेगा।

बी0 ऐसा कोई भी व्यथित व्यक्ति जो कि उक्त तिथि के पहले कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा पारित निर्णय या आदेश से प्रभावित हो तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश या निर्णय का सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर जो कि कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा अधिनिर्णित या आदेशित की गयी है अपील दायर कर सकता है।

वशर्ते कि उच्च न्यायालय यदि इस बात से संतुश्ट है कि अपीलकर्ता को यथोचित कारणों के वजह से अपील दायर करने में देरी हुई है जो कि निर्धारित समयावधि के अंदर होनी चाहिए थी तो ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को बीते 60 दिन की अवधि के अतिरिक्त पुनः 60 दिनों की अग्रतर अवधि प्रदान की जा सकती हैः और

सी0 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सभी कार्यवाही, जिसमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाही शामिल है, जो किसी भी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी तारीख के तुरत पहले लंबित है, न्यायाधिकरण को आवश्यक रूप से स्थानांतरित कर दी जायेगी और न्यायाधिकरण ऐसी कार्यवाहीयों को उनके स्थानांतरण से पहले चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।

वशर्ते की कंपनी के समापन से संबंधित मामले ही न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किये जायेगे जो कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित चरण की स्थिति में हो।

वशर्ते समापन के अलावा अन्य मामलों से संबंधित केवल ऐसी कार्यवाही, जिसके लिए कार्यवाही की अनुमति देने या अन्यथा आदेश आरक्षित नहीं है उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किया जायेगा।

वशर्ते की यह भी

(प) कंपनियों को बंद करने से संबंधित मामलों को छोडकर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सभी कार्यवाहीया, जो ऐसी कार्यवाहीयों की अनुमति देने या अन्यथा आदेश के लिए आरक्षित है, या

(पप) उन कंपनियों के समापन से संबंधित कार्यवाही जिन्हें उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी अधिनियम 1956 एवं कपंनी (न्यायालय) नियम 1959 के प्रावधानों के अनुरूप निपटारा किया जायेगा।

वशर्ते की किसी कंपनी के स्वेच्छिक समापन के मामलों से संबंधित कार्यवाही जहां विज्ञापन द्वारा समाधान की सूचना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 485 की उप धारा (1)
के तहत दी गयी हो, कंपनी को बंद नहीं किया गया हो। 1 अप्रील 2017 से पहले भंग होने पर कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के प्रावधानों के अनुरूप निपटारा किया जाना जारी रहेगा।

वशर्ते की कंपनीयों के समापन से संबंधित किसी भी कार्यवाही में कोई भी पक्ष या पक्ष किसी के समक्ष लंबी दिवाला या दिवालियापन संहिता (संशोघन) अध्यादेश, 218 के प्रारभं होने से ठीक पहले न्यायालय ऐसी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है और न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही को न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर सकता है और इस प्रकार हस्तांरित कार्यवाही को न्यायाधिकरण द्वारा निटपाया जायेगा। दिवाला औरा दिवालियाप संहिता, 2016 (31/2016) के तहत व्यावसायिक दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्र सरकार इस धारा के तहत उद्योग लॉ बोर्ड या अदालतों के समक्ष लंबित सभी मामलों, कार्यवाही या मामलों को न्यायाधिकरण में ससमय स्थानांतरित करने को
सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है।

10. जब संहिता 01.12.2016 से प्रभावित हुई तब दो अधिसूचनाएं दिनांक 07.12.2015 जारी की गयी। पहली अधिसूचना जिसका शिर्शक कंपनीयों (लंबित कार्यवाही का हस्तांतरण) नियम 2016 के नियम 5 के अनुरूप इस प्रकार दी गयी हैः

फोरेक इंडिया लिमिटेड बनाम् एडलवाईस एसेटस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

"5" ऋण चुकाने के असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण।

1. लंबित ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर अधिनियम की धारा 433 के खंण्ड (ई) के तहत परिसमापन से संबंधित सभी याचिकाएं जो किसी एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित, और जहां कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के तहत आवश्यक प्रतिवादी पर याचिका दायर नहीं की गयी है, उसे धारा 419 उप धारा (4) के तहत स्थापित न्यायाधिकरण की पीठ में स्थानांतरित कर दिया जायेगा। अधिनियम के अनुसार क्षेत्रिये अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली और ऐसी याचिकाओं को, जैसा कि मामला हो संहिता की धारा 7, 8, या 9 के तहत आवेदन के रूप मे माना जायेगा और संहिता के भाग 2 के अनुसार निपटाया जायेगा।

वशर्ते की याचिकाकर्ता नियम 7 के तहत याचिका स्वीकार करने के लिए आवश्यक नियम 7 के अनुसार हस्तांतरित अभिलेख का हिस्सा बनने की जानकारी के अलावा सभी जानकारी प्रस्तुत करेगी संहिता के धारा 7, 8, 9 जैसा भी मामला हो, में इस अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर न्यायाधिकरण को प्रस्तावित दिवाला पेशेवर का विवरण शामिल हो ऐसा न करने पर याचिका समाप्त जो जायेगी। "

11. साथ साथ ही उसी तारीख को कंपनी (कठिनाईयो को दुर करना) चैथे आदेश, 2016, द्वारा के उपखंड–2 में स्पश्ट किया गया है जो इसप्रकार है,

(2) "कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की उप धारा (1) के (खंड) सी) में, शर्त के बाद निम्नलिखित प्रावधानों को डाला जायेगा, नाम वाद, – और आगे प्रावधान किया गया है–

(पप) उन कंपनियों के समापन से संबंधित कार्यवाहीयों को जिन्हें उच्च न्यायालयों के द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है उन्हें कंपनी अधिनियम 1956, एवं कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के अनुरूप निपटाया जायेगा। "

12. दिनांक 29.06.2017 की एक अधिसूचना द्वारा, जिसका शीर्शक कंपनी (लंबित कार्यवाहीयों का हस्तांतरण) द्वितीय संशोधन, नियम, 2017 है नियम 5 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया गया है जो इस प्रकार है–

"5" ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर परिसमापन की लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण।

1. लंबित ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर अधिनियम की धारा 433 के खंण्ड (ई) के तहत परिसमापन से संबंधित सभी याचिकाएं जो किसी एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित, और जहां कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 के तहत आवश्यक प्रतिवादी पर याचिका दायर नहीं की गयी है, उसे धारा 419 उप धारा (4) के तहत स्थापित न्यायाधिकरण की पीठ में स्थानांतरित कर दिया

जायेगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 419, क्षेत्रिये अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करनते हुए संहिता की भाग 2 के अनुसार निपटाया जायेगा।

वशर्ते की याचिकाकर्ता नियम 7 के तहत याचिका स्वीकार करने के लिए आवश्यक नियम 7 के अनुसार हस्तांतरित अभिलेख का हिस्सा बनने की जानकारी के अलावा, सभी जानकारी प्रस्तुत करेगी संहिता के धारा 7, 8, 9 जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करेगा जिसमें विवरण भी शामिल हो। दिनांक 15 जुलाई 2017 तक दिवाला पेशेवर सभी विवरणी को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर याचिका स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

इसके आगे भी वशर्ते की आवेदनों से संबंधित पक्षकार या पक्षकारों के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2017 के बाद भी वे नये आवेदनों को अंतर्गत धारा 7,या 8 या 9 संहिता के तहत दायर करने के पात्र होगें जैसा भी मामला संहिता की धाराओं के अनुरूप हो। आगे यह भी प्रावधान किया गया है वशर्ते की अगर कोई आवेदन कंपनी के समापन से संबंधित न्यायाधिकरण को इस नियम के तहत हस्तांतरित नहीं किया गया है और वैसे मामले उच्च न्यायालय में अवस्थित है और इसके इतर अन्य आवेदन धारा 433 की उप धारा (इ) संहिता के अंदर उसी कंपनी के समापन से संबंधित मामला जो 15 दिसम्बर 2016 के पुर्व लंबित हो इस तरह अन्य आवेदन न्यायाधिकरण को हस्तांतरित नहीं किये जायेगें हालांकि ऐसी स्थिति में आवेदन की प्रति उतरवादी को तामिल न की गयी हो। ”

13. कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के नियम 26 और 27 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए नियम–26. याचिका की तामिला– प्रत्येक याचिका की तामिल याचिका में नामित प्रतिवादी, यदि कोई हो तो और ऐसे अन्य व्यक्तियों पर की जायेगी जिनकी अधिनियम या इन नियमों के अनुसार आवश्यकता हो जैसा न्यायाधीश या निबंधक के द्वारा निर्देशित हो। जबतक की अन्यथा आदेश नहीं दी जाय याचिका की एक प्रति याचिका की सूचना के साथ दी जायेगी।

नियम 27. याचिका की सूचना और तामिला का समय– किसी भी व्यक्ति को तामिला किये जाने के लिए आवश्यक प्रत्येक याचिका की सूचना फार्म सं0 6 मे होगी और , जबतक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाये या इन नियमों के द्वारा प्रदारन न किया जाये कम से कम सुनवाई से 14 दिनों के पुर्व तामिला की जायेगी

वशर्ते कि ऐसा नोटिस जब अधिनिमय द्वारा या इन नियमों के तहत केन्द्र सरकार को तामिल किया जाना आवश्यक हो तब तक तामिल नहीं किया जायेगा, जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश न लिया जाए जो कि सुनवाई की तारीख से स्पश्ट रूप से 28 दिनों के अंदर तामिल करनी होगी।

फोरेक इंडिया लिमिटेड बनाम् एडलवाईस एसेटस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

14. फॉर्म नं0 6 नियम 27 के अनुरूप जो निम्न प्रकार है–

फॉर्म 6

(देखें नियम 27)

{शीर्शक फार्म नं0 1}

कंपनी आवेदन सं0 ...../19

आवेदन की सूचना

ध्यान दें कि एक आवेदन अंतर्गत धारा ..... कंपनी अधिनियम 1956, के लिए ..... प्रस्तुतकर्ता के द्वारा ..... दिनांक ..... 19..... इसे अंगीकृत किया गया था तिथि..... दिनांक .....19..... एवं उक्त याचिका को सुनवाई हेतु कंपनी न्यायाधीश के समक्ष निर्धारित तिथि ..... 19 .....।

यदि आप उक्त आवेदन के पक्ष में या इसके विरूद्ध सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं, आपको मुझे लिखित सूचना देनी होगी जो कि मुझे इस समय से पुर्व ..... दिनों निर्धारित तिथि जो याचिका पर सुनवाई के लिए नियत है, और आपको सदेह या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना है। यदि आप याचिका का विरोध करना चाहते है, तो उक्त विरोध की एक प्रति शपथ पत्र के साथ अपनी नोटिस के साथ साथ भेजनी होगी। याचिका की एक प्रति आपको दी जायेगी यदि आप इस हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान पर इसकी आवश्यकता होगी तो याचिका की एक प्रति प्रदान की जायेगी जो इसके साथ संलग्न है।

दिनांक ..... हस्ताक्षरित..... नाम .....

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

पता–

(इस नोटिस को दिनांक ..... के पुर्व तामिल किया जाना चाहिए)

नोटः– यदि उतरवादी को सूचना भेजी जा रही है तो उक्त सूचना के साथ याचिका की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

15. श्री सेन ने हमें बताया कि उपरोक्त नियमों की व्याख्या में विचारों में भिन्नता थी। अशोक कॉमर्शियल इन्टरप्राईजेज बनाम पारेख एलुमानिस लिमिटेड ने बम्बई उच्च न्यायालय (2017) 4 बाम/

सीआर 653 में कहा गया है कि नियम 26 में संदर्भित नोटिस एफ एक पुर्व प्रवेश नोटिस था और इसलिए यह माना गया कि सभी समापन याचिकाएं जहां पुर्व प्रवेश नोटिस जारी किये गये थे और प्रतिवादी पर तामिल किये गये थे उन्हें उच्च न्यायालय में रखा जायेगा। दुसरी ओर मद्रास उच्च न्यायालय ने मिस्टर एम 0 के0 इंजनियरिंग बनाम सीपी 364/2016 में ईजोन रीरोल लिमिटेड ने माना है कि नियम 26 के तहत नोटिस मापन याचिका की प्रवेश पश्चात स्थिति के संदर्भ में है और तदनुसार यह माना गया है कि केवल वे याचिकाए जहां समापन आदेश पहले ही दिया जा चुका है, उन्हें इसमें बरकरार रखा तजा सकता है। उच्च न्यायालय इस उदेश्य के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने नियम 27 से जुडे फार्म नं0 6 और अभिव्यक्ति "था" पर दृढ़ता से भरोसा किया।

16. हमारा विचार है कि नियम 26 और 27 स्पश्ट रूप से पुर्व प्रवेश परिदृश्य को ेसंदर्भित करते है जैसा कि नियम 26 और 27 के स्पश्ट पढ़ने से स्पश्ट है, जो यह स्पश्ट करता है कि फार्म नं0 6 में निहित नोटिस को तामिला किया जाना है। सुनवाई की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले। इसलिए फॉर्म नंबर 6 में अभिव्यक्ति "स्वीकार किया गया" का मतलब केवल यह है कि समापन याचिका में नोटिस जारी किया गया है जिसे एक निश्चित दिन पर "कंपनी न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए तय किया गया है"। इस प्रकार, मद्रास उच्च न्यायालय का दृश्टिकोण स्पश्ट रूप से गलत है जबकि बाम्बे उच्च न्यायालय का दृश्टिकोण कानून की दृश्टि से सही है।

17. कानून की परिणामी स्थिति यह है कि पहले कदम के रूप में जब संहिता लागू की गयी थी, केवल उन याचिकाओं को समाप्त करना था, जहां कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 26 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था, उन्हें एनसीएलटी में स्थानांतरित किया जाना था और संहिता के अंतर्गत याचिकाओं के रूप में माना जाएगा। हालांकि संहिता के कामकाज पर, सरकार का ऐहसास हुआ कि उच्च न्यायालयों के साथ साथ संहिता में निर्णय लेनेवाले प्राधिकारी के समक्ष समानांतर कार्यवाही संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उदेश्य को विफल कर देगी, जो कि कॉर्पोरेट देनदारों को पुनर्जीवित करना है। लाल रंग में इस उदेश्य के अनुसार नियमों में संशोधन किया जाता रहा, जब तक कि अंततः 2018 में धारा 434 को स्वयणं् प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया, जिसमें एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके द्वारा उन याचिकाओं को समापत करनेमें भी, जहां नोटिस दिया जा चुका है और जो उच्च न्यायालयों में लंबित है, कोई भी व्यक्ति संहिता के तहत ऐसी याचिकाओं को एनसीएलटी में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय प्राधिकारी को स्थानांतरित करना होगा और संहिता के तहत दिवालिया याचिका के रूप में माना जाएगा। इस वैधानिक योजना का उल्लेख, हालांकि एसआईसीए की धारा 20 के

संदर्भ में हमारे फैसले में किया गया है, जो जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्पलॉइज आर्गनाइजेशन के माध्यम से महासचिव श्री तेज राम मीना बनाम जयपुर मेटलस एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के माध्यम से निहित है। प्रबंध निदेशक एवं अन्य, इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिनांक 12.12.2018 का निर्णय।

18. वैधानिक योजना का उल्लेख करने के बाद, जैसा कि उपर कहा गया है, यह न्यायालय–

"17. हालांकि बात यही खत्म नही होती है यह स्पश्ट है कि प्रतिवादी सं0 3 ने 11.01.2018 को संहिता के तहत धारा 7 में आवेदन दायर किया है, जिस पर एनसीएलटी

द्वारा 13.04.2018 को ऐसे आवेदन को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया है। यह कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसका स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष समापन कार्यवाही लंबित है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने के लिए समापन आदेश पारित होने से पहले यह प्रतिवादी सं03 के लिए किसी भी समय खुला था। यह संहिता की धारा 238 के साथ धारा 7 को पढने से स्पश्ट है जो इस प्रकार हैः–

"238. इस संहिता के प्रावधान अन्य कानुनों पर हावी होगें–इस संहिता के प्रावधान प्रभावी होगें भले ही कुछ समय के लिए लागु कोई कानुन में या इसके आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी उपकरण में कोई असंगत बात हो जो ऐसा किसी भी कानुन का हो। "

18. श्री दवे का सरल तर्क है कि चूँकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 434 को संहिता की 11 वीं अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है, संशोधित धारा 434 को संहिता के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि कंपनी अधिनियम, 2013 को, खारिज किया जाना चाहिए। इस कारण से यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 434 को संहिता की ग्यारहवी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, फिर भी प्रतिस्थापित धारा 434, केवल कंपनी अधिनियम 2013 में दिखाई देती है और उस अधिनियम का अभिन्न अंग है। ऐसा होने पर, यदि प्रतिस्थापित धारा–434 और संहिता के प्रावधानों के बीच कोई असंगतता है , तो बाद वाला प्रवल होना चाहिए। हमारा विचार है कि एनसीएलटी एक सुरक्षित वितीय ऋणदाता अर्थात अल्केमिस्ट एसेट रिंकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र कार्यवाही में संहिता की धारा 238 को लागु करने में बिल्कुल सही था। यह मामला होने के कारण, यह समझाना मुश्किल है कि कैसे उच्च न्यायालय यह मान सकता था कि एनसीएलटी के समक्ष कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना थी। इसलिए, इस स्कोर पर, उच्च न्यायालय के फैसले के रद्द किया जाना चाहिए। एनसीएलटी की कार्यवाही अब उसी चरण से जारी रहेगी जहां से इन्हें छोड़ा गया है। जाहिर है , उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कंपनी की याचिका पर

संहिता की धारा 238 के मद्देनजर आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को भी इस तथ्य के आलोक में निपटाया जाना चाहिए कि संहिता के तहत कार्यवाही अपना पुरा कोर्स चलाना चाहिए। इसलिए हम अपील की अनुमति देते है और उच्च न्यायालय के फेसले को रद्द करते है। ”

19. श्री सेन ने हमें वॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के एक फेसले का भी हवाला दिया, जिसमें (2018) पीएसआई ने 2, एआईआर बॉम आर 350 की रिर्पोट दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने संहिता के स्वयं– समान प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये एवं अधिनस्थ कानुन का उल्लेख करने के बाद इस प्रकार कहाः

“93. तथ्य यह है कि नोटिस के बाद समापन याचिकाएं कंपनी अधिनियम , 1956 द्वारा शासीत होती रहेगीं, इसका मतलब केवल यह है कि उन कार्यवाहीयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 ही लागु होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि नोटिस के बाद समापन याचिका में आईबीसी के तहत एक नई कार्यवाही दायर की जाती है और जहां एनसीएलटी द्वारा आईबीसी की धारा 14 सहित आदेश पारित किये जाते है तो आईबीसी के तहत प्रदान किये गये परिणाम लागु नहीं होगें। नोटिस कार्यवाही पोस्ट करने के लिए, चाहे उसका चरण कुछ भी हो।

---

98. इसके अलावा यह संक्रमणकालीन प्रावधान किसी भी तरह से आईवीसी के तहत किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपायों को प्रभावित नहीं कर सकता है, उस कंपनी की तुलना में जिसके खिलाफ समापन की याचिका दायर की गयी है और उच्च न्यायालय में रखी गयी है, क्योंकि यह उपचार के समान होगा, आईबीसी मानों कानुन की किताब में मौजुद ही नहीं है और लोगों को नये कानुन के लाभ से बंचित कर देगा। यह आईबीसी की स्पश्ट भाशा के विपरित है। यदि याचिकाकर्ता के दलीलों को स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि उन कंपनीयों के संबंध में, जहां नोटिस के बाद समापन याचिका स्वीकार की जाती है या एक अंतिम परिसमापक नियुक्त किया जाता है, आईबीसी के प्रावधान ऐसी कंपनियों पर आने वाले समय में कभी भी लागु नहीं हो सकते हैं ।

---

100. केवल यह तथ्य की नोटिस के बाद समापन की कार्यवाही को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार “ निपटाया ”जाना है। आईबीसी के तहत वैद्य रूप से शुरू की कार्यवाहीयों के लिए सामान रूप

से आईबीसी के प्रावधानों की प्रयोजिता पर रोक नहीं लगाता है। (न ही) इसका मतलब है कि ऐसी कार्यवाही को निलंबित किया जा सकता है।

20. इस फैसले को बॉम्बे उच्च न्याायलय की संयुक्त पीठ ने बरकार रखा था । हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते है कि इस निर्णय द्वारा घोशित कानुन को हमारी मंजुरी प्राप्त है।

21. इसलिए, परिणामी स्थिति यह है कि हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का तर्क सही नहीं है। संहिता की धारा 11 निदृश्टि करती है कि कौन से व्यक्ति इसके तहत कार्यवाही शुरू करने के पात्र नहीं है। विशेश रूप से धारा 11 (डी) जो इस प्रकार हैः

"11. वैसे व्यक्तियों जिनके द्वारा आवेदन करने का हक प्राप्त नहीं हैं– निम्नलिखित व्यक्ति आरंभ करने के लिए आवेदन करने के हकदार नहीं होगें–

इस अध्यादेश के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रकिया,

(डी) एक कॉर्पोरेट देनदार जिसके संबंध में परिसमापन आदेश दिया गया है।

स्पश्टीकरण– इस धारा के परियोजनों के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार ऐसे में ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक कॉर्पोरेट आवेदन शामिल होता है। "

22. यह धारा समित अनुप्रयोग के लिए है और केवल एक कॉर्पोरेट को रोकती है देनदान को संहिता की धारा 10 के तहत याचिका शुरू करने से रोक दिया गया है जिसके संबंध में परिसमापन आदेश दिया गया है। इस धारा के पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि जब तक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ परिसमापन आदेश नहीं दिया गया तब तक धारा 7 या 9 के तहत दिवालिया याचिका दायर की जा सकती है, जैसा कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना है। इसलिए हमारे सामने मौजुद समस्या के संदर्भ में धारा 11 का कोई संदर्भ पुरी तरह अप्रंासगिक है। हालांकि, हम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हैं क्योंकि यह स्पश्ट है कि वितीय ऋणदाता का आवेदन जिसे न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है वह स्पश्ट रूप से एक स्वतंत्र कार्यवाही है जिसे संहिता के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

23. हालांकि, हम अपील को खारिज करने वाले अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम अपीलकर्ता को समापन कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी अधिनियम (2018 में जोड़ा गया) की धारा 434 के प्रावधानों के तहत आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं। समापन प्रक्रियाएं जो

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है उसे संहिता की धारा 9 के तहत कार्यवाही के रूप में माना जा सकता है।

24. इन टिप्पणियों के साथ हम उपरोक्त अपील का निपटारा करते हैं।

दिव्या पांडे अपील निस्तारित।

अनुवादक

संजय कुमार सिंह –1